GAZETTE OF THE INDIA, EXTRAORDINARY

[Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi, the 24th October, 2016

ORDER

SUBJECT: Mandating Indian Language Support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3).

In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act,1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby includes the Indian language support for mobile phone as per IS 16333 (Part-3) to the Schedule of "Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012".

2. The provisions of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" except paragraph 1(2), shall apply for the aforesaid inclusion by virtue of this Order w.e.f. 1st July 2017.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 3022(E) dated 4th Oct 2013, S.O. 2905(E) dated 13th Nov 2014, S.O. 345(E) dated 3rd Feb 2016 and S.O. 638(E) dated 10th Feb 2016.

24/10/2016

(Rajiv Bansal)
Joint Secretary
F. No. 8(81)2015-IPHW

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1975] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934
No. 1975] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA 11, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2012

का.आ. 2357(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10(1)(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खंड (च क) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के अवसान पर प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.—(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित प्राधिकारी'' से कोई अधिकारी जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इसके अधीनस्थ या सम्बद्ध कार्यालयों के निदेशक या वैज्ञानिक 'एफ' से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसे सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) "माल" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल अभिप्रेत है;

(घ) "नियमों" से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "उत्पादों की श्रृंखला" से उसी परिवार के उत्पाद अभिप्रेत है, लेकिन जो आकार या रेटिंग या निर्माण में अलग-अलग हों;

(छ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल के संबंध में "विनिर्दिष्ट मानक" से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो यहाँ प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में है।

3. माल के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण आदि के बारे में निषेध –

(1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे माल का विनिर्माण, या बिक्री के लिए भंडारण, आयात, बिक्री या वितरण नही करेगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे माल पर ब्यूरो से रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के पश्चात भारतीय मानक (आईएस) अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित (सुसंगत भारतीय मानक) के अनुरूप "स्व-घोषणा" शब्द न लिखे गये हों ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए आशयित माल के विनिर्माण के संबंध में लागू नहीं होगी।

(2) अवमानक या त्रुटिपूर्ण माल जो अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, को विनिर्माता द्वारा उपयोगातीत विरूपित किया जायेगा और उनका व्ययन स्क्रैप के रूप में किया जायेगा।

4. सूचना इत्यादि मांगने की शक्ति –

(1) समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, किसी माल की बिक्री अथवा वितरण में लगे व्यक्ति से विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, आयात, किसी माल की बिक्री अथवा वितरण से संबंधित ऐसी सूचना, जो भी वह आवश्यक समझे देने या किसी ऐसे व्यक्ति से माल के नमूने उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट समुचित जेष्ट स्तर पर प्रत्येक बार किसी प्राधिकारी के विशिष्ट आदेश से समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस आदेश का सुनिश्चित अनुपालन करने की दृष्टि से --------

(क) विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, आयात, माल की बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति से संबंधित, अथवा उसके कब्जे में या उसके नियत्रणाधीन किसी पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज और अन्य माल या संघटक पुर्जे अथवा उसके द्वारा रखी जाने वाले किसी माल की सामग्री का भी निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करा सकेगा;

(ख) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा एवं उसकी तलाशी ले सकेगा तथा ऐसे माल का अभिग्रहण कर सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है या उक्त माल विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है;

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध जहां तक हो सके, इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे;

5. नमूना लेना और उसका परीक्षण:-

(1) जहां माल विभिन्न आकार, रेटिंग, किस्मों आदि का है, वहां ऐसे उत्पादों को समूहबद्ध किया जाएगा और प्रतिनिधिक प्रतिरूपों के परीक्षण के आधार पर उत्पादों की श्रृंखला के लिए श्रृंखला अनुमोदन किया जा सकेगा।

(2) आदेश का कार्यान्वयन करते समय श्रृंखला अनुमोदन संबंधी विनिश्चय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के माल का नमूना समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विनिर्माण इकाई या बाज़ार से यह अभिनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं या नहीं :

परन्तु यदि आवश्यक हो तो नमूने ब्यूरो या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी लिए जा सकेंगे।

(4) नमूने प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पाद अथवा उत्पाद की श्रृंखला के लिए दो वर्ष में कम से कम एक बार लिए जाएंगे।

(5) चुने जाने वाले स्थान और उत्पाद का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाएगा।

(6) प्रदत्त रजिस्ट्री के संभावित क्षेत्र में आने वाले उत्पादों की रेंज में से कम से कम एक नमूने को परीक्षण के लिए चुना जाएगा।

(7) इस तरह से लिए गए नमूने को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए समुचित रूप से मुहरबंद किया जाएगा और रजिस्ट्री संख्या, सैंपल लिए जाने की तारीख, बाज़ार नमूने या विनिर्माण इकाई नमूने के स्रोत, नमूना लेने वाले व्यक्ति का तीन अंकीय कोड और पहचान संख्या, यदि माल पर दी गई हो, तो लेबल के रूप में नमूने पर उपदर्शित किया जाएगा।

परन्तु जहां नमूना विनिर्माण यूनिट से लिया गया है, वहां परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले नमूने के अतिरिक्त उसी बैच अथवा लॉट से अन्य नमूना भी लिया जाएगा और उसे भी मुहरबंद किया जाएगा

और उस पर भी लेबल लगाया जाएगा और उसे प्रति नमूना के रूप में रजिस्ट्री उपयोक्ता के पास पश्चातवर्ती किसी विवाद की स्थिति में प्रयोग हेतु रखा जाएगा।

(8) इस तरह से लिए गए मुहरबंद और लेबलयुक्त नमूने को समुचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ब्यूरो से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए यह उपदर्शित करने वाले अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि नमूने की जांच विनिर्दिष्ट मानक की सभी आवश्यकताओं की बाबत की जाए और जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

(9) सभी जांच रिपोर्टों की नमूने की अनुरूपता के लिए विनिर्दिष्ट मानकों की सभी आवश्यकताओं की बाबत जांच की जाएगी।

(10) अनुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी और अननुरूप नमूने की जांच रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर समुचित प्राधिकारी द्वारा ब्यूरो को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

(11) समुचित प्राधिकारी कार्यवाही की प्रास्थिति से संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

6. विनिर्माताओं को निदेश जारी करने की शक्ति : समुचित प्राधिकारी, इस आदेश के प्रयोजन को पूरा कराने के लिए अधिनियम, नियम या इस आदेश के उपबंधों के संगत, जो भी आवश्यक हो, विनिर्माताओं को निदेश जारी कर सकेंगे।

7. निदेशों का अनुपालन: प्रत्येक विनिर्माता, जिसे इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है, वह ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

8. जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता: कोई भी विनिर्माता खण्ड 4 के अधीन विधिपूर्वक मांगी गई जानकारी देने से इंकार नहीं करेगा या अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी पुस्तक या संबंधित दस्तावेज को नष्ट, विकृत या विरुपित नहीं करेगा और कोई जानकारी नहीं छुपाएगा।

अनुसूची

क्रम सं. (1)	उत्पाद (2)	भारतीय मानक संख्या (3)	भारतीय मानक का शीर्षक (4)
1.	इलेक्ट्रॉनिक खेल (विडियो)	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एव ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
2.	लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
3.	32" एवं इससे बड़े प्लाज्मा/एलसीडी/एलईडी टेलीविजन	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
4.	200 वाट एवं इससे अधिक इनपुट क्षमता वाले बिल्ट इन एमप्लीफायर के साथ ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
5.	माइक्रोवेव ओवन	आईएस 302-2-25:1994	घरेलू एवं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, साधित्रों की सुरक्षा : भाग 2 विशिष्ट आवशयकता : भाग 25 माइक्रोवेव ओवन
6.	विजुअल डिस्प्ले यूनिट, 32" एवं इससे बड़े आकार के विडियो मॉनीटर	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
7.	प्रिंटर, प्लाटर	आईएस 13252:2003	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
8.	स्कैनर	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
9.	वायरलेस की बोर्ड	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा

			साधारण आवश्यकताएं
10.	टेलीफोन से उत्तर देने वाली मशीन	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं
11.	200 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर एम्प्लीफायर	आईएस 616:2010/	ऑडियो, विडियो एव ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
12.	200 वाट एवं इससे अधिक क्षमता वाले इनपुट पावर वाले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल प्रणाली	आईएस 616:2010	ऑडियो, विडियो एव ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
13.	मेन पावर वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां	आईएस 302-2:26:1994	घरेलू एव ऐसे इलेक्ट्रिकल साधित्र की सुरक्षा: भाग 2 विशिष्ट आवश्यकताएँ : भाग 26 घड़ियां
14.	सेट टॉप बॉक्स	आईएस 13252:2010	ऑडियो, विडियो एवं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र-सुरक्षा आवश्यकताएँ
15.	ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन	आईएस 13252:2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा साधारण आवश्यकताएं

[सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्ल्यू(वाल्यूम III)]

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2012

S.O. 2357(E).— In exercise of the powers conferred by section 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987,the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement :

(1) This Order may be called the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

(1) In this Order, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) "Appropriate Authority" means any officer, not below the rank of Director or Scientist 'F', of the Department of Electronics and Information Technology or its sub-ordinate or attached offices, authorised by the Secretary, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India;

(c) "Goods" means the Electronics and Information Technology goods specified in the column (2) of the Schedule;

(d) "Rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 1987;

(e) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order ;

(f) "Series of products" means the products of the same family but varying in sizes or rating or construction;

(g) "Specified Standard" in relation to Electronics and Information Technology Goods means the Indian Standards as specified in the column (3) of the Schedule;

(2) Words and expressions used herein but not defined in the Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules made there under;

3. Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc of Goods -

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the words "Self declaration – Conforming to IS (Relevant Indian Standard mentioned in column (3) of the Schedule) on such Goods after obtaining Registration from the Bureau:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export.

(2) The substandard or defective Goods which do not conform to the Specified Standard mentioned in column (3) of the Schedule shall be deformed beyond use by the manufacturer and disposed off as scrap.

4. Power to call for information, etc. –

(1) The Appropriate Authority or a person authorised by him, may with a view to secure compliance with this Order require any person engaged in the manufacture, store for sale, sale or distribution of any Goods to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of any Goods or require any such person to furnish to him samples of Goods.

(2) With the specific order each time of an authority at an appropriate senior level nominated by the Secretary in the Department of Electronics and Information Technology, the Appropriate Authority or person authorised by him , with a view to secure compliance with this Order may also-

(a) inspect or cause to be inspected any books or other document and other Goods or the components or materials of any Goods kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, import, sale or distribution of Goods;

(b) enter and search any premises and seize Goods in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said Goods are not complying to the Specified Standards;

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall so far as may be, applied to searches and seizures under this clause.

5. Drawing and testing of sample :-

(1) Where the Goods have different sizes, ratings, varieties etc, such Goods shall be grouped and may be granted series approval for a Series of Products based on testing of representative models.

(2) A decision concerning series approval shall be taken by the Department of Electronics and Information Technology or its authorised agencies while implementing the order.

(3) The sample of Goods of the registered user shall be drawn from his manufacturing unit or from the market by the Appropriate Authority or person authorised by him for ascertaining whether they conform to the Specified Standard:

Provided that if required, samples may also be drawn by the Bureau or its authorised representatives.

(4) The samples shall be drawn at least once in two years for a product or Series of Product covered under the scope of registration granted.

(5) The location and the product to be picked up shall be selected randomly.

(6) At least one sample from the range of products covered in the scope of registration granted shall be picked up for testing.

(7) The sample so drawn shall be properly sealed to protect it from any damage and labeled indicating the registration number, the date of the drawal of sample, the source of the market sample or manufacturing unit sample, a three-letter code of the person drawing the sample and the identification number, if any, given on Goods:

Provided that where the sample drawn from the manufacturing unit, in addition to the sample to be sent for testing, another sample from the same batch or lot shall also be drawn, sealed and labeled, and left with the registered user as a counter sample, for use in case of any subsequent dispute.

(8) The sample so drawn, sealed and labeled, shall be sent by the Appropriate Authority or person authorised by him for testing to a laboratory recognised by the Bureau along with a request indicating that the sample shall be tested

with respect to all the requirements of the specified standard and the test report shall be sent to the Appropriate Authority.

(9) All the test report shall be scrutinized for conformity of the sample with respect to the requirements of the Specified Standard.

(10) The test report of the conforming sample shall be retained by the Appropriate Authority and the test report of the non-conforming sample shall be sent to the Bureau by the Appropriate Authority within the specified time limit for further action.

(11) The Appropriate Authority shall also make available information regarding the status of processing publicly available on its website.

6. Power to issue direction to manufacturers:- The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers, consistent with the provisions of the Act, rules or this Order, as may be necessary, for carrying out the purpose of this Order.

7. Compliance of directions:– Every manufacturer to whom any direction is issued under this Order shall comply with such direction.

8. Obligation to furnish information:– No manufacturer shall refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 4 or conceal, destroy, mutilate or deface any book or document relating thereto in his possession or control.

SCHEDULE

Sl.No. (1)	Product (2)	Indian Standard Number (3)	Title of Indian Standard (4)
1.	Electronic Games (Video)	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
2.	Laptop/Notebook/Tablets	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
3.	Plasma /LCD /LED Televisions of screen size 32" & above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
4.	Optical Disc Players with built in amplifiers of input power 200W and above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
5.	Microwave Ovens	IS 302-2-25:1994	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 25 Microwave ovens
6.	Visual Display Units , Video Monitors of screen size 32" & above	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
7.	Printers, Plotters	IS 13252:2003	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
8.	Scanners	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
9.	Wireless Keyboards	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements

10.	Telephone Answering Machines	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements
11.	Amplifiers with input power 2000W and above	IS 616:2010/	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
12.	Electronic Musical Systems with input power 200W and above	IS 616:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
13.	Electronic Clocks with Mains Powers	IS 302-2:26: 1994	Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 26 Clocks
14.	Set Top Box	IS 13252:2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
15.	Automatic Data Processing Machine	IS 13252:2010	Information Technology Equipment - Safety - General Requirements

[No. 8(14)/2006-IPHW(Vol. III)]

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1565] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2013/आषाढ़ 14, 1935

No. 1565] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2013/ASHADA 14, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2013

"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन के संबंध में

विषय : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए माल के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" को लागू करने की तारीख का बढाया जाना ।

का. आ. 2033(अ).—इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की दिनांक 20.03.2013 की अधिसूचना फा. सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्यू, वाल्यूम IV में आंशिक संशोधन के क्रम में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ऐसी विनिर्माण यूनिटें, जिन्होंने "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" के अनुपालन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए अपने उत्पाद 3 जुलाई, 2013 से पहले प्रस्तुत कर दिए हैं, परन्तु उनकी परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, को बिना किसी शुल्क के दिनांक 04.07.2013 से तीन माह की अवधि के विस्तार की स्वीकृति दी जाती है ।

दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना के अन्य प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[डीईआईटीवाई की फा. सं. 8(14)/2006-आईपीएचडब्ल्यू, वाल्यूम-IV]

अरुण सचदेवा, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2013

Concerning Implementation of

"Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012".

SUBJECT: Extension in date of coming into effect of the "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012" for Goods under testing with BIS Recognised Labs

S.O. 2033(E).—In partial modification of the Notification DeitY F. No. 8(14)/2006-IPHW Vol IV dated 20.03.2013, it is hereby notified that Manufacturing Units which have submitted the products for testing to the BIS recognized labs to comply to the "Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012" before July 3, 2013, but test reports are not available, be granted an extension without any fee for 3 months wef 04.07.2013.

Other provision of the Notification dated 20 March, 2013 would apply as before.

This Notification will come into Immediate effect.

[DeitY F.No. 8(14)/2006-IPHW Vol IV]

ARUN SACHDEVA, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2341] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2013/आश्विन 12, 1935
No. 2341] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2013/ASVINA 12, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

विषय : "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" का कार्यान्वयन ।

का.आ. 3023(अ).—जबकि, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) ने "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" (जिसे इसके बाद "आदेश" कहा जाएगा) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 20.03.2013 की अधिसूचना संख्या 822(अ) जारी की, जिसमें आदेश के लागू होने की तारीख बढ़ाई गई है और सशर्त विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है और जबकि आदेश 3 जुलाई, 2013 से लागू किया गया है और जबकि आदेश के अनुपालन से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं और जबकि इन मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों से चर्चा कर ली गई है और जबकि आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उद्योग को संसाधन उपलब्ध कराने और इन मुद्दों को हल करने के लिए आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है ।

1. आदेश के पूर्ण अनुपालन के लिए उन विनिर्माण इकाइयों की समय-सीमा 3 जनवरी, 2014 तक बढ़ाने की अनुमति है जो परीक्षण के लिए अपने उत्पाद बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें आज की तारीख पर, आखिरी तारीख पर या 3 जनवरी, 2014 से पहले किस तारीख को भेजा गया है) में भेजते हैं । नए उत्पाद अथवा मॉडल जब लांच किए जाते हैं, का भी परीक्षण किया जाता है और उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया अपनायी जाती है और उपर्युक्त सीमा विस्तार की स्वीकृति के लिए उन्हें अलग नहीं माना जाता है ।

2. उन इकाइयों को 3 अक्तूबर, 2013 के बाद समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई समय-सीमा विस्तार फीस नहीं देनी पड़ेगी जिन्होंने 3 अक्तूबर, 2013 से पहले बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए अपने नमूने प्रस्तुत कर दिए हैं और उन्हें 3 अक्तूबर, 2013 से पहले इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-सीमा में विस्तार की स्वीकृति दे दी गई है तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए इस विस्तार की सीमा 3 जनवरी, 2014 तक मान्य होगी।

3. 3 अक्तूबर, 2013 के बाद बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पादों पर "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश" के लागू होने की तारीख से प्रति माह की दर से, ऐसे उत्पादों को परीक्षण के लिए जमा कराने की तारीख तक दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना के अनुबंध क में नियत दरों पर शुल्क वसूल किया जाएगा। तथापि, दिनांक 3 अक्तूबर, 2013 के बाद उत्पाद को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए बिना उच्चतर समय-सीमा विस्तार फीस पर विनिर्मित करने/आयात करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं रहेगा।

4. परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए माल के संबंध में समय-सीमा बढ़ाने के लिए समान मानकों वाले किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय परीक्षण गृह द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों से पहले विनिर्माता द्वारा स्व-घोषणापत्र संलग्न किया जाए। दिनांक 20 मार्च, 2013 की अधिसूचना की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधान लागू होंगे।

5. ऐसे पंजीकृत माल के लिए जिस पर विनिर्माण युनिटों द्वारा स्व-घोषणापत्र और विशिष्ट पंजीकरण संख्या अंकित नहीं की गई है, वहां 3 जनवरी, 2014 तक सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क द्वारा ऐसे परेषित माल की निकासी के उद्देश्य से बीआईएस द्वारा जारी किया गया पंजीकरण पत्र पर्याप्त होगा। तथापि, ऐसे माल को बाज़ारों में उतारने से पहले विनिर्माण यूनिटों के विनिर्माताओं/स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक मार्किंग की जाएगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[डीईआईटीवाई फा. सं. 37 (1)/ 2013-आईपीएचडब्ल्यू]

अरूण सचदेव, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2013

Subject : Implementation of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012".

S.O. 3023(E).—Whereas Government of India, Department of Electronics and IT (DeitY) has issued the "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" (hereinafter called the "Order"), and whereas DeitY further issued a Notification No. S.O. 822(E), dated 20.03.2013 extending the date of coming into effect of the Order and enabling provision for grant of conditional extension and whereas the Order has come into effect on 3rd July 2013, and whereas certain issues have arisen with regard to compliance to the Order, and whereas these issues have been discussed with all stakeholders and whereas to address these issues, and to sustain the resources to facilitate the industry for smooth implementation of the Order, the following notification is issued in continuation of the Order.

1. Manufacturing Units which submit the products for testing to BIS recognised labs (irrespective of when they have been submitted, till date, now or anytime before January 3, 2014) are allowed an

extension upto January 3, 2014, for full compliance with the Order. New product models when developed or launched also have to go through the testing and registration process and would not be differentiated for grant of extension.

2. No extension fee shall apply for extension beyond October 3, 2013 to those who have submitted their samples for testing to BIS recognized labs and are granted extension by DeitY before October 3, 2013 and such extensions granted by DeitY stand extended upto January 3, 2014.

3. Products submitted for testing to BIS recognized labs after October 3, 2013, be levied a fee on a per month basis from the date of coming into effect of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012", at the rates specified in Annexure A to notification dated 20th March, 2013, till the date of submission of such products for testing. However the provision to manufacture/import at higher extension fee, without submitting the products for testing would not be available after October 03, 2013.

4. For granting extension to goods that are submitted for testing, the self-declaration by manufacturer must be accompanied as before, by test reports issued by any National/International Test House to equivalent standards. Other provisions, concerning process of facilitating extensions, of Notification dated 20th March, 2013 would apply.

5. For registered goods where statement of self-declaration alongwith unique Registration Number has not been affixed by the manufacturing units, Registration Letter issued by BIS shall suffice for the purpose of clearance of such consignments by Customs/Excise till 3 January, 2014. However the needed markings shall be placed by the manufacturer/local representatives of the manufacturing units before placing such goods into markets.

This Notification will come into immediate effect.

[DeitY F. No. 37(1)/2013-IPHW]

ARUN SACHDEVA, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 2330] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. 2905(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (एफए) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012" की अनुसूची मे निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करती है, नामत :—

क्र. सं	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
16	आईटी उपकरणों के लिए विद्युत एडेप्टर	भारतीय मानक 13252 (भाग — 1): 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर—सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएं
17	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो के लिए एडेप्टर	भारतीय मानक 616 : 2010	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षा आवश्यकताएं
18.	≤ केवीए रेटिंग का यूपीएस / इन्वर्टर	भारतीय मानक 16242 (भाग—1) : 2014	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण—सुरक्षा आवश्यकताए
19.	एलईडी माड्यूलो के लिए डी. सी. अथवा ए. सी. आपूर्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलगियर	भारतीय मानक 15885 (भाग 2 / खण्ड 13) : 2012	लैंप कंट्रोलगियर की सुरक्षा भाग—2 विवरण धारा 13 की आवश्यकताए, एलईडी मॉड्यूलो के लिए डी.सी अथवा ए. सी. आपूर्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलगियर
20.	पोर्टेबल अनुप्रयोग मे उपयोग के लिए क्षारीय या अन्य गैर—अम्ल इलेक्ट्रोलाइटस वाले द्वितीयक सेल / बैटरिया	भारतीय मानक 16046 : 2012	पोर्टेबल अनुप्रयोगो के लिए सील वाले द्वितीयक सेल और उनसे बनी बैटरियो के लिए क्षारीय तथा अन्य गैर—अम्ल वाली इलेक्ट्रोलाइट्स—सुरक्षा आवश्यकताए
21.	सामान्य प्रकाश सेवाओ के लिए सैल्फ बैलास्टिड एलईडी लैम्प	भारतीय मानक 16102 (भाग 1) : 2012	सामान्य लाइटिंग सेवा भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताओ के लिए सैल्फ बैलस्टिड एलईडी लैम्प
22.	निर्धारित सामान्य प्रयोजन एलईडी ल्यूमिनेयर्स	भारतीय मानक 10322 (भाग 5 / खण्ड 1) : 2012	ल्यूमिनेयरो भाग 5 विशेष आवश्यकताए खंड 1 सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनेयर्स
23	मोबाइल फोन	भारतीय मानक 13252 (भाग—1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण—सुरक्षा—सामान्य आवश्यकताए

24	रोकड़ वहियां	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
25	बिक्री केन्द्र बिन्दु	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
26.	कॉपी करने की मशीनें / डुप्लीकेटर	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
27.	स्मार्ट कार्ड रीडर्स	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
28.	डाक संसाधन मशीनें / डाक शुल्क मशीनें / फ्रेंकिंग मशीनें	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
29.	पासपोर्ट रीडर	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
30.	पोर्टेबल अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए पावर बैंक	भारतीय मानक 13252 (भाग–1) 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं

2. "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" के उपबंध सिवाए पैरा 1(2) के उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में इस आदेश के तहत क्रमांक 20 में उल्लिखित मद को छोड़कर शेष मदों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की समाप्ति पर तथा क्रमांक 20 में दी गई मदों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति पर लागू होंगे।

3. अनुसूची में वर्णित सभी माल के लिए ब्यूरो द्वारा समय पर प्रकाशित और अधिसूचित अद्यतन मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह माह की समाप्ति पर लागू होंगे। ऐसे समय तक पहले ही पंजीकृत माल के लिए निगरानी परीक्षण, जब और जैसे ही किया जायेगा, तत्पश्चात् अद्यतन मानकों के अनुसार किया जायेगा। इसके अलावा, पंजीकरण चक्र की वैधता समाप्त होने पर पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य पंजीकरण योजना के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी :—मूल आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 की संख्या का.आ. 2357(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें दिनांक 20 मार्च, 2013 के का.आ. 822(अ) तथा दिनांक 25 जून, 2013 के का.आ. 2034(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा. सं. 37(1) / 2013–आईपीएचडब्ल्यू (भाग)]

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2905(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Central Government, hereby includes the following products to the Schedule of the Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012, namely:—

S. No.	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Power Adaptors for IT Equipments	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
17	Power Adaptors for Audio, Video & Similar Electronic Apparatus	IS 616 : 2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements
18	UPS / Invertors of rating ≤ 5kVA	IS 16242 (Part-1) : 2014	General and Safety Requirements for UPS
19	DC or AC Supplied Electronic Controlgear for LED Modules	IS 15885 (Part2/Sec 13) : 2012	Safety of Lamp Controlgear Part 2 Particular Requirements Section 13 d.c. or a.c Supplied Electronic Controlgear for LED Modules
20	Sealed Secondary Cells / Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046 : 2012	Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them, for use in portable applications

21	Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services	IS 16102 (Part 1) : 2012	Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services Part 1 Safety Requirements
22	Fixed General Purpose LED Luminaires	IS 10322 (Part 5 / Sec 1) : 2012	Luminaires Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General purpose luminaires
23	Mobile Phones	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
24	Cash Registers	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
25	Point of Sale Terminals	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
26	Copying Machines / Duplicators	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
27	Smart Card Readers	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
28	Mail Processing Machines/Postage Machines / Franking Machines	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
29	Passport Reader	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
30	Power Banks for use in portable applications	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements

2. The provisions of "Electronics & IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" except paragraph 1(2), shall apply on the items added by virtue of this order to the schedule of the said Order on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette for items other than S. No. 20 and on the expiry of nine months from the date of publication of this notification in the Official Gazette for items of S. No. 20.

3. For all the goods mentioned in the schedule, the latest standards as published and notified by the Bureau from time to time would apply on expiry of six months from the date of notification of such standards by the BIS. For goods already registered till such time, the surveillance testing as and when carried would be as per the latest standards. Further, renewal of registration would be done to the latest standards as per the provisions of the Compulsory Registration Scheme on expiry of validity of registration cycle.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 2357(E), dated the 3rd October 2012 and subsequently amended *vide* number S.O. 822(E), dated the 20th March, 2013 and S.O. 2034(E), dated 25th June, 2013.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt)]

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937
No. 298] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/ MAGHA 14, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

विषय: 13 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अनुसूची का.आ. खण्ड (अ) में शामिल उत्पादों के लिए "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012" के कार्यान्वयन से संबंधित ।

का.आ. 344(अ).—जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (ब क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. संख्या 2905 (अ) तथा 21 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 2578 (अ) के द्वारा "इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012" (जिसे इसके पश्चात आदेश कहा गया है) की अनुसूची में पंद्रह उत्पादों को शामिल किया था, चुनिन्दा मदों के लिए इस आदेश के लागू होने की तारीख को 1 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाया गया था । और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है और जबकि इस आदेश के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए पणधारकों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, अत: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की तारीख को निम्नलिखित चुनिन्दा उत्पादों सम्मुख दर्शाई गई तारीखों तक विस्तारित माना जाए :

आदेश की अनुसूची में क्रमांक	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की तारीख
18.	≤ 5 केवीए रेटिंग के यूपीएस/इन्वर्टर	भा.मा. 16242 (भाग-1): 2014	यूपीएस के लिए सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं।	1 मार्च, 2016
20.	सुवाह्य (पोर्टेबल) अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए क्षारीय या अन्य गैर-अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट्स सील्ड गौण सेल/बैटरियां	भा.मा.16046: 2012	सुवाह्य अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए सुवाह्य सील्ड गौण सेल और उनसे निर्मित बैटरियों के लिए	1 जून, 2016
22.	निर्धारित सामान्य प्रयोजन . एलईडी ल्यूमिनरीस	भा.मा.10322 (भाग 5/धारा 1): 2012	ल्यूमिनरीस भाग 5 विशेष आवश्यकताएं धारा 1 निर्धारित सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनरीस	1 मार्च, 2016

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधरण में दिनांक 3 अक्तूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357 (अ) को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसमें दिनांक-20 मार्च, 2013 को का.आ. 822 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. 20334 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का. आ. 2934 (अ), 13 नवम्बर 2014 को का. आ. 2095 (अ) 11 मई, 2015 को का.आ. 1324 (अ) 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2578 (अ) तथा 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2579 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

[फा.सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्यू (भाग-2)]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY

(Department Of Electronics And Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

S.O. 344(E).— Whereas, in exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act,1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government had included fifteen products to the Schedule of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" (hereinafter called the Order) *vide* S.O. 2905(E) published in Gazette of India on 13 Nov 2014, and *vide* S.O. 2578(E) published in the Gazette of India on 21 Sept 2015 the date of coming into effect of this Order for the select items was extended till 1st Dec 2015. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the Order And whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of this Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to the dates indicated against the select products as mentioned below:

S.No. in the Schedule of the Order	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard	Date of Implementation

18	UPS/Invertors of rating ≤ 5KVA	IS 16242 (Part 1) : 2014	General and Safety requirements for UPS	1st March 2016
20	Sealed Secondary Cells/Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046: 2012	Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes-Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them, for use in portable applications	1st June 2016
22	Fixed General Purpose LED Luminaires	IS 10322 (Part 5/Sec 1): 2012	Luminaires Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General Purpose Luminaires	1st March 2016

This Notification will come into immediate effect.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 822(E), dated 20th March 2013, S.O. 2033(E) dated 5th July 2013,S.O.2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 2905(E) dated 13 Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11th May 2015, S.O. 2578(E) dated 21 Sept 2015 and S.O. 2579(E) dated 21 Sept 2015.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt.2)]
SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

विषय: "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" में संशोधन से संबंधित ।

का.आ. 345(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानवक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना आईटी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" में-

पैरा 3क के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"3 ख आदेश का आस्थगित अनुप्रयोग"-

ऐसे विनिर्माताओं, जो इस आदेश के अतंर्गत पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए भारत की संघीय सीमा के भीतर किसी नए स्थल पर विनिर्मित माल (वस्तुओं) के लिए आदेश के अनुप्रयोग को छह माह तक आस्थगित रखा जाएगा बशर्ते कि :

क) नया विनिर्माण स्थल उसी विनिर्माता की जिम्मेदारी के तहत आता हो;

ख) इस नए स्थल पर विनिर्मित माल का विशिष्ट प्रकार/मॉडल नम्बर किसी अन्य स्थल पर उसकी विनिर्माण यूनिट के लिए उसी विनिर्माता के पंजीकरण के कार्य क्षेत्र (परिधि) में पहले से ही शामिल हो ।

अनंतिम अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद/उत्पादों के लिए इस विनिर्माता को किसी अन्य स्थल हेतु स्वीकृत की गई पंजीकरण संख्या का समर्थन जारी रहेगा ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

[फा. सं. [37(1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू(खंड-2)]

डॉ. अजय कुमार ,अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2015

SUBJECT: Concerning Amendment of "Electronics and IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012".

S.O. 345(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act,1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby makes the following amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012", namely-

In the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012,-

After Para 3 A, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3 B. Deferred Application of Order"-

For manufacturers that are already registered under this Order, the application of the order shall be deferred by six months for goods manufactured at any new location within the territory of India provided:

a) That the new manufacturing location is within the responsibility of the same manufacturer

b) That the specific type/model numbers of the goods manufactured at this new location are already covered in the scope of registration of the same manufacturer for its manufacturing unit, at any other location.

During the interim period such product/products will continue to support the registration number granted to this manufacturer earlier for any other manufacturing location.

This Notification will come into force with immediate effect.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW(Pt.2)]

Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended *vide* S.O. 822(E), dated 20th March 2013, S.O. 2033(E) dated 5th July 2013, S.O. 2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 2905(E) dated 13 Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11th May 2015, S.O. 2578(E) dated 21 Sept 2015 and S.O. 2579(E) dated 21 Sept 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937
No. 549] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/ PHALGUNA 12, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

विषय: "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2013" में संशोधन से संबंधित ।

का.आ. 638(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, **1986 (1986** का **63)** के खंड **10 (1)** (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, **1987** के नियम **13** के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार **"**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) संशोधन आदेश, **2013"** में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन आदेश, **2016** है ।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन

आदेश, **2013,** में खंड **2** (क)**1** में निम्नलिखित पैराओं को प्रतिष्ठापित किया जायेगा, अर्थात:-

कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं न ही अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो से विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद समय - समय पर ऐसे माल के लिए बीआईएस द्वारा यथानिर्धारित विशिष्ट

मानकों का अनुपालन न करने वाले और "मानक चिह्न" न होने वाले माल का बिक्री, आयात, बेचने अथवा वितरण के लिए विनिर्माण या भंडारण नहीं करेगा :

बशर्ते कि जहाँ ब्यूरो से प्राप्त विशिष्ट पंजीकरण संख्या पहले से ही है और आयातित वस्तुओं पर चिह्न नहीं लगा है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के चिह्न को कस्टम से माल की निकासी के लिए भारत में स्थित संपर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय वाली विनिर्माण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा चिपकाया जाए :

बशर्ते यह भी कि निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में यह आदेश किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त, "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2013" के खंड 2 (ए) 1 में यथा अधिसूचित अपेक्षाओं को चिह्नित करने के लिए उपलब्ध 30.06.2016 तक का संक्रमणकाल होगा :

[फा. सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू(खंड-2)]

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात इसमें दिनांक 20 मार्च, 2013 का.आ. 822 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. संख्या 2033 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ 2034 (अ), 13 नवम्बर 2014 को का.आ. 2905 (अ), 11 मई, 2015 को का.आ. 1324 (अ), 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2578(अ), 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2579 (अ), 03 फरवरी, 2016 को का.आ 344 (अ) तथा 03 फरवरी, 2016 को का.आ 345 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

ORDER

New Delhi, the 10th February, 2016

SUBJECT: Concerning Amendment of "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013".

S.O. 638(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act,1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby makes the following further amendments to the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013", namely-

1. (1) This Order may be called the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2016".

   (2) It shall come in to force with immediate effect.

2. In the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013", clause 2(a)(1) shall stand substituted as follows –

No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the "Standard Mark" as notified by BIS for such goods from time to time after obtaining the Unique Registration Number from the Bureau:

Provided that where such mark has not been affixed on the imported Goods already having unique registration number from the Bureau, such mark may be affixed by representative of the manufacturing unit having liaison office or branch office located in India, for clearance of goods from customs:

Provided further that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export:

Further, a transition period up-to 30.06.2016 would be available for marking requirements as notified in clause 2(a)(1) of the "Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013".

[F. No. 37(1)/2013-IPHW(Pt.2)]

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3rd October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 822(E), dated 20th March 2013, S.O. 2033(E) dated 5th July 2013,S.O.2034(E) dated 5th July 2013, S.O. 2905(E) dated 13th Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11th May 2015, S.O. 2578(E) dated 21st Sept 2015, S.O. 2579(E) dated 21st Sept 2015, S.O. 344(E) dated 03rd Feb 2016 and S.O. 345(E) dated 03rd Feb 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.